



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या-167 राँची, सोमवार, 10 फाल्गुन, 1942 (श०)  
01 मार्च, 2021 (ई०)

---

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----  
अधिसूचना

19 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या-10/सी.बी.आई.-410/2020- 979 -- झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं.-25) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक/शाखा प्रधान, सी०बी०आई०, ए०सी०बी०, राँची के पत्रांक-900, दिनांक-04.12.2020 के द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में (1) श्री के० डी० दिवान, तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, (2) श्री अभिजीत घोष, तत्कालीन निदेशक (खनन), (3) अज्ञात पदाधिकारी/कर्मि, एच०सी०एल० एवं (4) मेसर्स इंडियन रिसोर्स लिमिटेड (आई०आर०एल०) के विरुद्ध धारा-120 बी एवं सहपठित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 की धारा-13(1)(डी) के अंतर्गत नियमित काण्ड दर्ज करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

-----

**HOME, PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT**

-----

**NOTIFICATION****19 February, 2021.**

**No.-10/C.B.I.-410/2020- 979 --** In exercise of the powers conferred by Section-6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment upon request made via letter number 900 dated 04.12.2020 of Superintendent of Police, Head of Branch, CBI, ACB, Ranchi for registration of regular case against (i) Mr. K.D. Diwan, the then chairman-Cum-Managing Director, (ii) Sh. Abhijit Ghosh, the then Director (Mining), (iii) Unknown Officers/Officials of Hindustan Copper Ltd. and (iv) M/S Indian Resource Ltd. (IRL) for committing offences u/s 120(B), r/w 13(1)(d) of PC Act. 1988 (as amended in 2018).

By order of the Governor of Jharkhand,

**Dhanesh Kumar,**

Under Secretary to Government.

-----